

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा मे,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, भागलपुर।

पटना, दिनांक-

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT-2.0) अंतर्गत नेहरू मेमोरियल पौण्ड कायाकल्प परियोजना, भागलपुर हेतु लागत राशि रु० 69,51,600/- (उनहत्तर लाख इक्यावन हजार छह सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (AMRUT-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात् पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इस योजना (AMRUT-2.0) का क्रियान्वयन परियोजना निधि में आवंटित केन्द्रांश तथा इसके अनुपातिक राज्यांश की राशि से किया जाना है।

2. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (AMRUT-2.0) योजनान्तर्गत नेहरू मेमोरियल पौण्ड कायाकल्प परियोजना, भागलपुर हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) विभाग द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा तैयार कराया गया है, जिसपर कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, नगर निगम क्षेत्र, भागलपुर द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा दिनांक-08.05.2025 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा इस परियोजना के लिए राशि रु० 69,51,600/- (उनहत्तर लाख इक्यावन हजार छह सौ) अनुशंसित है तथा दिनांक-03.06.2025 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

3. उक्त के आलोक में अमृत-2.0 योजनान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ-02 में अंकित परियोजना के लिए स्तम्भ-04 में अंकित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-



(राशि करोड़ रु०)

क्र०सं०	परियोजनाओं का नाम एवं विवरणी	प्राक्कलित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4
01	अमृत 2.0 योजनान्तर्गत प्रस्तावित नेहरू मेमोरियल पौण्ड, भागलपुर पौण्ड परियोजना के कार्याकल्प हेतु साइट की सफाई और भराई, प्रवेश द्वार, गार्ड रूम, पम्प रूम, बोर पम्प, सेप्टिक टैंक, 200 मीटर स्टोन मसोनरी वॉल, 2 नाव, सौन्दर्यीकरण एवं अन्य कार्य शामिल है।	रु० 0.6951600	रु० 0.6951600
कुल राशि		रु० 0.6951600	रु० 0.6951600

(उनहत्तर लाख इक्यावन हजार छह सौ)

4. उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- योजना का कार्यान्वयन नगर निगम, भागलपुर द्वारा कराया जायेगा।
- योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
- योजना का कार्यान्वयन चिन्हित भूमि का जिला पदाधिकारी से NOC/हस्तांतरण होने के उपरांत किया जाएगा।
- जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा परियोजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षक/निर्देशन समय-समय पर किया जायेगा।
- योजना हेतु कार्य स्थल पर बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिसपर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- यह परियोजना अमृत 2.0 योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी।

5. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

6. उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राशि के आवंटन हेतु अलग से राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-15/अमृत-08-53/2025

२२६।

/पटना, दिनांक-10/6/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02 एवं प्रशाखा 06, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।